

- 7- सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन एवं बोर्ड का गठन।
- 8- शिया सेन्ट्रल बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन एवं बोर्ड का गठन।
- 9- हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्टों के प्रशासन की योजना सम्बन्धी कार्य।
- 10- हुसैनाबाद ट्रस्ट प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन आदि।
- 11- अवध अमानती नोट्स के ब्याज के भुगतान के मामले।
- 12- अवध वसीका पेंशन के भुगतान सम्बन्धी मामले।
- 13- अवध वसीका कार्यालय, लखनऊ और एजेन्सी आफिस, वाराणसी का अधिष्ठान।
- 14- वसीका मैनुअल तथा वसीका सम्बन्धी अन्य कार्य।
- 15- अवकाफ सम्बन्धी रिट याचिकायें।
- 16- वक्फ विकास निगम से सम्बन्धित समस्त कार्य।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-3

- 1- अल्पसंख्यकों के सम्बंध में केन्द्रीय सरकार की नीति से सम्बन्धित कार्य।
- 2- अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित स्वैच्छिक संस्थाओं से सम्बन्धित कार्य।
- 3- हज से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- 4- भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपाय तथा भारत सरकार के भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त से सम्बन्धित कार्य तथा उनकी सिफारिशों का कार्यान्वयन।
- 5- भाषाई अल्पसंख्यकों के भाषा विषयक हितों की सुरक्षा।
- 6- भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- 7- उपर्युक्त सभी मदों से सम्बन्धित आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर आय-व्ययक से सम्बन्धित कार्य।
- 8- उपर्युक्त मदों से सम्बन्धित विधायी कार्य।
- 9- अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा विकास से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- 10- प्राइमरी शिक्षा में अल्पसंख्यकों का एनरोलमेंट बढ़ाने तथा डाप आउट को कम करने सम्बन्धी कार्य।
- 11- सरकारी सहायता से चल रहे मकाबो/मदरसों को भारत सरकार की योजना के अनुरूप अनौपचारिक शिक्षा योजना के तहत सुदृढ़ कर प्राइमरी एजुकेशन की उपलब्धता बढ़ाना।
- 12- राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न मदरसों द्वारा दी गयी डिग्रियों को हाईस्कूल और इण्टर की समकक्षता उपलब्ध कराने तथा भारत सरकार की योजना के अनुरूप लगभग 487 मदरसों को विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी आदि की शिक्षा से सम्बन्धित कार्य।
- 13- नेशनल पालिसी आन एजुकेशन, 1986 के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोग्राम आफ एजुकेशन, 1992 के पृष्ठ 15 से 30 तक माइनारिटीज एजुकेशन के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों का कार्यान्वयन।
- 14- दीनि मदरसों तथा अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाओं सम्बन्धी कार्य।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-4

- 1- उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- 2- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सम्बन्धित समस्त कार्य।

- 3- अल्पसंख्यकों के निजी क्षेत्रों में सेवायोजन सम्बन्धित समस्त कार्य तथा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु व्यापार कर में छूट दी गयी सम्बन्धी योजनाओं का अनुश्रवण।
- 4- सरकारी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के सेवायोजन सम्बन्धी सरकारी नीति का अनुश्रवण व सहायता एवं सहयोग।
- 5- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- 6- अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास से सम्बन्धी समस्त कार्य।
- 7- राज्य अल्पसंख्यक आयोग से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- 8- वाहय एवं सहायता सहयोग सम्बन्धित कार्य।
- 9- हैडलूमों तथा हैडीक्राफ्ट से जुड़े हुए अल्पसंख्यकों को ग्रामीण विकास तथा अन्य केन्द्र पोषित योजनाओं से लाभ सम्बन्धी कार्यक्रम।
- 10- अल्पसंख्यकों के राज्य के परकैपिटा जी०डी०पी० और अल्पसंख्यकों द्वारा प्रयोग किए जाये परकैपिटा जी०डी०पी० का तुलनात्मक अध्ययन आदि और प्रदेश के त्वरित विकास हेतु इस अन्तर का कम करने का सम्बन्धी योजना।
- 11- अल्पसंख्यकों को क्रेडिट एबजावसन कैपेसिटी बढ़ाने सम्बन्धी योजनाएँ।
- 12- अल्पसंख्यकों के महिला कल्याण तथा जेण्डर इश्यूज से सम्बन्धी कार्य।
- 13- चाइल्ड मास्टेलिटी, परिवार कल्याण जैसी महत्व की योजनाओं का अल्पसंख्यकों के परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयन सम्बन्धित समस्त कार्य।
- 14- स्वैच्छिक संस्थाओं को अल्पसंख्यकों के बीच स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टी०पी०आई० रिलिफ आदि से सम्बन्धित कार्य।
- 15- मानवर, कांशीराम योजना सम्बन्धी समस्त कार्य।

बिन्दु (2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य।

शक्तियां

शक्तियां	प्रशासकीय	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अपने अधीन निम्न संगठनों पर प्रशासकीय नियंत्रण है :-
		1- निदेशक अल्पसंख्यक निदेशालय, उ०प्र० 2- सर्वे आयुक्त, वक्फ उ०प्र० 3- अल्पसंख्यक आयोग उ०प्र० 4- वसीका कार्यालय, उ०प्र० 5- रजिस्ट्रार उ०प्र०मदरसा शिक्षा परिषद 6- कार्यपालक अधिकारी, शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फबोर्ड उ०प्र० 7- प्रबन्ध निदेशक, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम/वक्फ विकास निगम उ०प्र० 8- हज कमेटी, उ०प्र०
	वित्तीय	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अपने अधीन निम्न संगठनों पर प्रशासकीय नियंत्रण है :-